

“द्विजनेस पोस्ट” के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक दिक्ट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. फिलाई, दिनांक 30-5-2001।”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सो. ओ./रायपु/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

[क्रमांक 205-इ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2005—भाग 11, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2005

क्रमांक 7066/21-अ/प्रासपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का मिम्नलिखित अधिर्णियम, जिस पर दिनांक 24-8-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसामान्य की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोवल, उप-सचिव,

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 16 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

विषय - मूल्य

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रेरणा.
2. परिभाषा.
3. राजकोषीय प्रबंध सिद्धांत.
4. विधान खाता के समक्ष रखने के लिए राजकोषीय नीति का विवरण.
5. राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय.
6. अनुपालन लागू करने के लिए उपाय.
7. नियम बनाने की शक्ति.
8. नियमों का विधान मंडल के समक्ष रेखा जागा.
9. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
10. सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार का वर्जन.
11. अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहो.
12. कठिनाइया दूर करने की शक्ति.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(अन्मांक 16 सन् 2005).

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

राजकोषीय प्रबंध में विकेक, सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को उत्तरदायित्व सौंपने, राजस्व घाटे की क्रमिक समाप्ति, द्वारा वित्तीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कटौती, राजकोषीय वहनीयता के अनुसार विवेकपूर्ण ऋण प्रबंध, सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिकाधिक पारदर्शिता और मध्यावधि ढाँचे तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों में राजकोषीय नीति के संचालन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के हृष्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | <p>(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।</p> <p>(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है।</p> <p>(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा।</p> | संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। |
| 2. | इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :— | परिभाषाएँ। |
| | <p>(क) “बजट” से अभिप्रेत है अंतर्भान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य विधानमण्डल के सदन में रखा गया आर्थिक वित्तीय विवरण;</p> <p>(ख) “चालू वर्ष” से अभिप्रेत है आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;</p> <p>(ग) “आगामी वर्ष” से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है;</p> <p>(घ) “वित्तीय वर्ष” से अभिप्रेत है, 1 अप्रैल से शुरू होने वाला और आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;</p> <p>(ङ) “जीएसडीपी” से अभिप्रेत है वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल राज्य धरेतू उत्पाद;</p> <p>(च) “राजकोषीय घाटा” से अभिप्रेत है राजस्व प्राप्तियों, ऋण की बमूली और गैर ज्ञान पूर्जागत प्राप्तियों से अधिक होने वाले सकल वितरण (ऋण चुकौतियों को छोड़कर);</p> <p>(ऱ) “राजकोषीय संकेतक” से अभिप्रेत है ऐसा संकेतक जैसा कि राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए विहित किया जाए;</p> <p>(ज) “राजकोषीय स्थिति” से अभिप्रेत है अंकीय उच्चतम सीमा और राजकोषीय संकेतकों के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों या जीएसडीपी का अनुपात;</p> <p>(झ) “विहित” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित;</p> <p>(ञ) “पिछले वर्ष” से अभिप्रेत है चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;</p> | |

- (८) "राजस्व घाटा" से अभिप्रेत है राजस्व व्यव और कुल राजस्व प्राप्तियों (टीआरआर) के बच का अंतर;

स्पष्टीकरण : "कुल राजस्व प्राप्तियों" (टीआरआर) में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियाँ (कर और करतार दोनों) तथा केन्द्र से चालू अंतरण (अनुदान और केन्द्रीय करों में राज्य के अंश सहित) शामिल हैं;

- (९) "कुल देवताओं" से अभिप्रेत है राज्य की नमेकित निधि और राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देवताएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों एवं विशेष प्रयोजन के साधन, गारंटी सहित तथा अन्य संस्करण लिखतों द्वारा लिए गए उधार शामिल होंगे जिसमें मूलधन या व्याज का शोधन राज्य बजट से किया जाता है.

- राजकोषीय प्रबन्ध मिहांत:** 3. (१) राज्य सरकार राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा कम करने के समुचित उपाय करेगी जिससे राजस्व घाटा 31 मार्च, 2009 तक दूर हो जाए तथा राजकोषीय घाटा को 31 मार्च, 2009 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक नोचे लाया जा सके।

- (२) राज्य सरकार इसके द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी—

- (अ) इस अधिनियम के प्रारंभ होने तथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के कर्मी के लिए वार्षिक लक्ष्य,
- (ब) समाप्ति दायित्व के रूप में प्रत्याभूति तथा कुल दायित्वों के जीएसडीपी के प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण।

परन्तु आंतरिक व्यववधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा विशिष्ट आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य सरकार के लिए पर अप्रत्याशित मार्गों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबन्ध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकेगा।

- विधान सभा के समझ रखने के लिए राजकोषीय नीति का विवरण,
4. (१) राज्य सरकार हर-एक वित्तीय वर्ष में विधान सभा के सदन में वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगों के साथ निम्नलिखित विवरण रखेगा, अर्थात् :—

(क) बृहद आर्थिक संरचना विवरण;

(ख) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण; और

(ग) राजकोषीय नीति योजना विवरण।

- (२) बृहद आर्थिक संरचना विवरण यथानिर्धारित स्वरूप में होगा और उसमें राज्य की अर्धव्यवस्था का विवरण लाने का विशेषण और जीएसडीपी की क्षेत्रीक संरचना, राज्य सरकारों वित्त और भावी संवादनाओं से संबंधित मूल्यांकन शामिल होगा, विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिक्रूल प्रभाव डाले बिना बृहद आर्थिक संरचना विवरण में निम्नलिखित से संबंधित मूल्यांकन शामिल किया जाएगा :—

(एक) जीएसडीपी में बढ़ि

(दो) राज्य का राजकोषीय संतुलन जैसा कि राजस्व संतुलन और सकल राजकोषीय संतुलन में प्रतिविवित हो।

मेंच का
(दोनों)
हि.
रि. आने
वा अन्य
प्रबजट

दौरान

कल का

सरकार
वा वाय

नुदानों

या का
रि. और
की
बंधित

न में

- (3) (एक) मध्याकांडीय नीति विवरण राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबंध के उद्देश्य और अंतर्निहित पूर्वानुमान के स्पष्ट निरूपण के साथ विहित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन बाब्द के चल लक्षणों के ऐसे स्वरूप में रखा जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।
- (दो) मध्याकांडीय राजकोषीय नीति विवरण में विशेषत: और उप धारा (1) में अंतर्विहित उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जिन राजकोषीय संकेतकों के पीछे विविध पूर्वानुमान और निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण शामिल किया जाएगा :—
- (क) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन;
- (ख) उत्पादक अस्तियों के निर्माण के लिए ऋण सहित पूर्जीगत प्राप्तियों का प्रयोग;
- (4) राजकोषीय नीति योजना विवरण ऐसे स्वरूप में होगा जैसा कि विहित किया जाए और उसमें अन्य बाब्दों के साथ-साथ निम्नलिखित बाब्दों शामिल होंगी,
- (एक) आगामी बाब्द के लिए कराधान, व्यय, ऋण खेने और अन्य देवताओं, ऋण देने, निवेश, अन्य आकस्मिक देयताओं, सार्वजनिक सम्पत्ति/उपयोगिताओं के लिए उन्धोगकर्ता प्रभार एवं गारंटी जैसी गतिविधियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की गतिविधियों के लिए राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियां जिनके संभाव्य बजटीय निहितर्थ होते हैं;
- (दो) आगामी बाब्द के लिए राजकोषीय छंत्र में राज्य सरकार की योजनायत प्रार्थनिकताएं;
- (तीन) महत्वपूर्ण राजकोषीय उपाय और कराधान, सक्षिप्ती, व्यय, ऋण देना और सार्वजनिक सम्पत्ति/उपयोगिताओं पर उपयोगकर्ता प्रभार से संबंधित राजकोषीय उपायों में किसी प्रमुख विचलन के लिए ऑफिस्ट;
- (चार) राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों का मूल्यांकन धारा 3 में निर्धारित राजकोषीय प्रबंध के सिद्धांत, धारा 4 को उपरांत 3 (1) में मध्याकांडीय राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित राजकोषीय उद्देश्य.

5. (1) राज्य सरकार सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय कार्यों में अधिकाधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और वार्षिक खिसीय विवरण और अनुदानों की मार्गी तैयार करने में जहां तक व्यक्तिगत हो वहां तक गोपनीयता को कम रखने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।
- (2) विशेषत: और पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जिन, राज्य सरकार बजट के प्रस्तुतीकरण के समय ऐसे स्वरूप में जैसा कि विहित किया जाए, विस्तृत सूचना के साथ निम्नलिखित के संबंध में प्रकटीकरण करेगा;
- (एक) लेखाकरण मानकों में उल्लेखनीय परिवर्तन, राजकोषीय संकेतकों की गणना पर प्रभाव डालने वाली या संभाव्य रूप से प्रभाव डालने वाली नीतियां और संव्यवहार;
- (दो) अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट के द्वारा भारतीय स्लिव बैंक से लिए गए ऋणों के और जब कभी राज्य सरकार जिन शर्तों के और ठोस मात्रा में किसी अलग कानूनी संरक्षा के मूलधन की दुकौती और या आज अदा करती है तो उसे ऐसो देयता की राजस्व के ऋण के रूप में ऐसे स्वरूप वे जैसा कि विहित किया जाए दिखाना चाहिए।

राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय

- (4) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय कार्य में विधानमण्डल के समक्ष बजट के साथ-साथ सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और संबंधित योग्यों का अवैरा देने वाली विशेष विवरणियों का प्रकाशन रखेगी।
- अनुपालन लागू करने के लिए उचाय। 6. (1) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री (जो हरमें इसके पश्चात् वित्त मंत्री के रूप में विनिर्दिष्ट है) इस तिमाही में बजट अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष विधान सभा के सदन में रखेंगे।
- (2) जब कर्त्ता राजकोषीय नीति योजना विवरण या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित अंतर-व्यापी संक्षयों से वा तो राजस्व में कमी आसी है या व्यय अधिक होता है तब राज्य सरकार को राजस्व बढ़ाने और/या व्यय में कटौती करने, जिसमें राज्य की समेकित निधि से अदा और विनियोजित की जाने वाली राशियों में कटौती शामिल है, के लिए यथोचित उपाय करने चाहिए।
- परन्तु संविधान के अनुच्छेद 202 के रूपमें (3) के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि पर ऐसे प्रभारित व्यय या अन्य किसी व्यय पर इस उप-धारा में कोई लागू नहीं होगा जो किसी करार या संत्रिदा के अंतर्गत करना आवश्यक है और जिसे स्थगित या कम नहीं किया जा सकता।
- (3) (एक) इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान को छोड़कर इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर डाली गई किसी व्याप्ता की पूर्ति में विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना किसी विचलन की अनुमति नहीं होगी।
- (दो) जब अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण राज्य सरकार पर इस अधिनियम के अंतर्गत डाली गई व्याप्ता की पूर्ति में कोई विचलन होता है तब वित्त मंत्री विधान सभा के सदन में निम्न-लिखित को समझ करते हुए व्याप देंगे :—
- (क) इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर डाली गई व्याप्ता की पूर्ति में ऐसा विलचन;
- (ख) क्या ऐसा विचलन भारी मात्रा में और वास्तविक या संभाव्य दबावीय परिणामों से संबंधित है; तथा
- (ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय।
- नियम अनाने की शक्ति। 7. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपचारों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) ऐसे नियमों में विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित बातों के बोरे में सभी या किसी का प्रावधान होगा, अर्थात् :—
- (क) धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये जाने वाले आर्थिक सक्षय;
- (ख) धारा 4 की उपधारा (3) (एक) के प्रयोजन के लिए निर्धारित किये जाने वाले राजकोषीय सकैतक;
- (ग) धारा 4 के अंतर्गत कुहद आर्थिक संरचना विवरण, भव्यावधि राजकोषीय नीति विवरण तथा राजकोषीय नीति योजना विवरण का स्वरूप;

सार्वजनिक
व्यौदा देने

र तिमही
मीकाओं

उल्लिखित
कास को
नियोजित

अधि पर
करार

। राज्य
किसी

शारीरी
क्रिया

रेसा

यों

- (घ) धारा 5 की उपधारा (2) तथा (3) के अंतर्गत प्रकटीकरण का स्वरूप;
- (ङ) अनुपालन लागू करने के रूपाय;
- (च) अन्य कोई बात जो आवश्यक हो या विहित की जाए.

B. इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाएंगे,

9. इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा कल्पना करते हुए यथा सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गयी अथवा किए जाने के लिए अशक्ति किसी कार्य के लिए कोई बाद, अभियोजन या अन्य विधिक फार्मबुकी नहीं होगी।

10. इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी विधिय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध चाद या कार्रवाई सिविल न्यायालय प्रहण नहीं करेगा।

11. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रबृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा हथा उसका अल्पीकरण नहीं करेगा।

12. (1) यदि, इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रावधान कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने के लिए जैसा कि आवश्यक हो इस विधेयक के उपबंधों के असंगत न हो।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इस धारा के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक आदेश राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

नियमों का विधानमण्डल
के समक्ष रखा जाना।

सद्भावनापूर्वक दी गई
कार्रवाई का संरक्षण।

सिविल न्यायालय
सेवाधिकार का वर्जन।

अधिनियम किसी अन्य
विधि का अल्पीकरण
नहीं।

कठिनाइयों दूर करने की
शक्ति।

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2005

क्रमांक 7066/21-अ/प्राह्लण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्र. 16 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एवं द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव,